उ०प्र०आवास एवं विकास परिषद, 104, महात्मा गांधी मार्ग, पर दिनांक 26-2-83 को 10-30 बजे पूर्वान्ह में हुई उ०प्र०आवास एवं विकास परिषद की वर्ष-1983 की द्वितीय बैठक का कार्यवृत्त

निम्नलिखित सज्जन उपस्थित थे:-

(1)	श्री बी०जे०पीदायजी		अध्यक्ष
(2)	श्री राम पाल सिंह		सदस्य
(3)	श्रीमती दीपा बोल		सदस्या
(4)	श्री आर०एस०माथुर	सचिव, आवास एवं नगर विकास विभाग उ०प्र०शासन एवं आवास आयुक्त, आवास एवं विकास परिषद।	सदस्य
(5)	श्री आर०सी०मंगल	निदेशक, सी०बी०आर०आई०, रुड़की	सदस्य
(6)	श्री जे०पी०दुबे	मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उ०प्र०	सदस्य
(7)	श्री जितेन्द्र सहाय	संयुक्त सचिव, वित्त उ०प्र०शासन (सचिव, वित्त के प्रतिनिधि)	सदस्य

बैठक के प्रारम्भ में उ०प्र०आवास एवं विकास परिषद के अशासकीय सदस्य स्व० श्री करन सिंह के असामयिक निधन पर गम्भीर शोक व्यक्त करते हुये यह निर्णय लिया गया कि एक शोक संदेश उनके धर्मपत्नी तथा परिवार के सदस्यों को परिषद की ओर से भेज दिया जाय। सदस्यों ने दो मिनट के लिये मौन किया और इससे पूर्व दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजली अर्पित की गई।

तदोपरान्त बैठक में विचार-विमर्श के उपरान्त निम्न मदों पर सर्वसम्मति से निर्णय लिये गये:-

क्र०सं०	विषय	संकल्प संख्या	निर्णय
1	2	3	4
1-दिनांक 12-1-1983 को हुई बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि।		द्वितीय/(1)/83	परिषद की दिनांक 12-1-1983 को हुई बैठक के कार्यवाही की पुष्टि निम्न संशोधनों के साथ की गयी:- 1- मद सं०-2 के क्रमांक-7(2)में जहाँ ''अप्रैल-1980 से दिसम्बर तक'' लिखा है वहाँ ''अप्रैल-1980 से दिसम्बर-1982 तक'' लिख दिया जाय। 2- मद संख्या-25 की 12वीं पंक्ति में ''ही'' शब्द निकाल दिया जाय।
2-परिषद की बैठक दिनांक 12-1-1983 की अनुपालन आख्या		द्वितीय/(2)/83	परिषद द्वारा दिनांक 12-1-1983 को हुई बैठक में लिये गये निर्णयों के कार्यान्वयन से सम्बन्धित प्रस्तुत आख्या की विस्तृत समीक्षा की गयी और सर्वसम्मति से निम्नलिखित निर्णय लिये गये:- 1- परिषद की जानकारी में लाया गया।

1	2	3	4
			कि वाहनों के क्रय के सम्बन्ध में शासन के आदेश अभी प्रतीक्षित हैं। शासन से आदेश प्राप्त होने में हो रहे विलम्ब को देखते हुये यह निर्णय लिया गया कि परिषद की योजनाओं का सम्यबद्ध क्रियान्वयन एवं सामयिक पर्यवेक्षण करने हेतु 7 डीज़ल जीप/डीज़ल टेकर क्रय कर लिये जायें। वाहनों का विलारण करते समय सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा अनुमोदित मानकों का ध्यान रखा जाय और परिषद की वर्तमान वित्तीय स्थिति को देखते हुये या तो इस वर्ष के बजट से अथवा अगले वर्ष के बजट से निर्धारित प्रक्रिया अपना कर वाहनों को क्रय किया जाय।
			2- सहायक निदेशक (प्रचार) के रिक्त पद को उप आवास आयुक्त(सं0प्र0 एवं प्रचार) के पदनाम में परिवर्तित करने के सम्बन्ध में विस्तृत टिप्पणी परिषद की बजट बैठक के बाद होने वाली बैठक में रखी जाय।
			3- कानपुर व वाराणसी इकाईयों के लिये भूमि अध्याप्ति अधिकारी के पदों का सृजन शीघ्रताशीघ्र कराकर इन पदों पर सुयोग्य अधिकारियों की तैनातियाँ करायी जायें।
			4- पूर्व संदर्भ के परिप्रेक्ष्य में मुरादाबाद व अलीगढ़ में पुलिस कर्मियों द्वारा परिषद के आवास गृहों पर अनाधिकृत तथा विधि के विरुद्ध अतिक्रमण के सम्बन्ध में उपयुक्त निर्णय प्राप्त करने के लिये माननीय मुख्य मंत्री जी के आदेशार्थ के लिये एक स्वतः स्पष्ट टिप्पणी का आलेख्य बनाकर शासन को भेज दिया जाय।
			5- परिषद की इन्दिरा नगर योजना लखनऊ में 80 मध्यम आय वर्ग एम0ए0/75 प्रकार के भवनों के प्राविधिक परीक्षण के सम्बन्ध में शासन द्वारा लिये गये निर्णय के कार्यान्वयन स्वरूप मुख्य अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग के स्तर पर लम्बित कार्यवाही अविलम्ब पूरी करायी जाय और अनुपालन आख्या परिषद की बजट बैठक के बाद होने वाली बैठक में रखी जाय।
			6- परिषद द्वारा निर्मित कालोनीज़ को स्थानीय निकायों को हस्तान्तरित करने के सम्बन्ध में प्रत्येक कालोनी से सम्बन्धित विस्तृत टिप्पणी अध्यक्ष महोदय के निर्देशानुसार तैयार कर परिषद की बैठक के पूर्व उनके समक्ष रखी जाय ताकि माननीय आवास मंत्री जी की अध्यक्षता में प्रस्तावित बैठक उनके द्वारा शीघ्र ही बुलाई जा सके।
			7- परिषद् के लेखों के समायोजन तथा मिलान एवं लेखा मैनुअल तैयार करने के सम्बन्ध में अद्यावधि प्रगति की जानकारी परिषद को करायी गयी। परिषद ने निर्णय लिया कि प्रत्येक माह के लिये समस्त बिन्दुओं पर निश्चित एवं सुनियोजित कार्यक्रम बना लिया जाय और तदनुसार लेखों का समाधान कराया जाय और मासिक प्रगति से परिषद को प्रत्येक बैठक में अवगत कराया जाय।
			8- आगरा की कमला नगर आवासीय योजना में ग्राम-लश्करपुर की भूमि के सम्बन्ध में शासन द्वारा लिये गये निर्णय के कार्यान्वयन के संदर्भ में आयुक्त, आगरा मण्डल के स्तर पर शीघ्र ही एक बैठक आयोजित की जाय ताकि काफी दिनों से लम्बित इस प्रकरण को समाप्त किया जा सके।

1	2	3	4

9- उ0प्र0आवास एवं विकास परिषद अधिनियम-1965 में प्रस्तावित संशोधन की एक संहत सूची अध्यक्ष आवास एवं विकास परिषद के समक्ष शीघ्र प्रस्तुत की जाय ताकि वह इसे पुनरीक्षित कर परिषद की बजट बैठक के बाद होने वाली बैठक में प्रस्तुत कर सके।

10- पिथौरागढ़, रानीखेत तथा मंसूरी नगरों के लिये धारा-28 का प्रस्ताव परिषद के समक्ष अविलम्ब रखा जाय।

11- गोपेश्वर नगर जनपद चमोली की एक योजना जो सबसे उपयुक्त हो, से सम्बन्धित धारा-28 का प्रस्ताव परिषद के समक्ष अविलम्ब प्रस्तुत किया जाय।

12- हरिद्वार तथा काशीपुर नगरों के लिये आवासीय योजनाओं से सम्बन्धित धारा-28 का प्रस्ताव परिषद की बैठक में अविलम्ब रखा जाय।

13- प्रशासनिक व्यय में कटौती किये जाने के संबंध में अब अन्य प्रदेशों की आवास परिषदों से सूचना प्राप्त करने की प्रतीक्षा न कर मुख्य अभियन्ता और ज्येष्ठ लेखाधिकारी यह देख लें कि प्रशासनिक व्यय में किन-किन मदों में कटौती किया जाना संभव है और अपनी संयुक्त आख्या परिषद की होने वाली बैठक में प्रस्तुत करें।

14- मोदीनगर में हापुड़ रोड पर योजना चलाये जाने के सम्बन्ध में धारा-28 का प्रस्ताव अविलम्ब रखा जाय।

15- विकास एवं निर्माण कार्यों इत्यादि की योजनाओं की समीक्षा करने के लिये कानपुर विकास प्राधिकरण द्वारा उपयोग में लाये जा रहे विस्तृत प्रोफार्मा पर आवश्यक विवरण संगृहीत करने में होने वाली व्यवहारिक कठिनाईयों को देखते हुये यह निर्णय लिया गया कि उक्त प्रोफार्मा पर विवरण एकत्र कर आन्तरिक अनुश्रवण किया जाय किन्तु परिषद में केवल योजनावार सरसरी उद्धरण प्रस्तुत किया जाय जिसमें प्रत्येक योजना की वस्तुस्थिति का स्तर प्रारम्भ तथा समाप्त होने की तिथियाँ अवश्य इंगित होनी चाहिये।

16- चौक क्षेत्र लखनऊ में महात्मा गाँधी स्मारक अस्पताल के आस-पास की भूमि में परिषद की आवासीय योजना चलाये जाने के सम्बन्ध में परिषद द्वारा गठित उप समिति का निरीक्षण शीघ्र कराया जाय और उप समिति की रिपोर्ट परिषद की बजट बैठक के बाद होने वाली बैठक में प्रस्तुत की जा सके।

17- परिषद की आवासीय योजनाओं से सम्बन्धित प्रस्तावों का परीक्षण करने के उद्देश्य से परिषद के संकल्प संख्या (∨)/(45)/82 दिनांक 2-9-1982 द्वारा गठित स्क्रीनिंग कमेटी के सम्बन्ध में परिषद की जानकारी में लाया गया कि इस प्रस्ताव के कार्यान्वयन में काफी व्यवहारिक कठिनाईयाँ आ रही हैं।

1	2	3	4

परिषद ने निर्णय लिया कि उक्त संकल्प में पारित निर्णय वापस ले लिया जाये और भविष्य में जो भी धारा-28 का प्रस्ताव क्षेत्रीय कार्यालय से प्राप्त हो उसके साथ अधीक्षण अभियन्ता द्वारा प्रदत्त एक प्रमाण-पत्र भेजा जाय कि उन्होंने स्वयं स्थल पर प्रस्ताव का हर दृष्टि-कोण से परीक्षण कर लिया है और प्रस्तावित स्थल परिषद की आवासीय योजना के लिये सर्वथा उपयुक्त है।

18- सुल्तानपुर नगर की आवासीय योजना हेतु धारा-28 का प्रस्ताव परिषद के समक्ष अविलम्ब रखा जाय।

19- वर्ष-1976-77 व 1977-78 के पक्के चिट्ठे जो विधान मण्डल के दोनो सदनों के पटल पर रखे जाने थे, के सम्बन्ध में अविलम्ब कार्यवाही की जाय और महालेखाकार उ0प्र0 की रिपोर्ट महालेखाकार कार्यालय लखनऊ/इलाहाबाद से सीधे प्राप्त करने का प्रयास किया जाय।

20- सिविल लाइन्स भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना, कानपुर की भूमि के सम्बन्ध में इसका परीक्षण कर लिया जाय कि यदि उक्त भूमि बाज़ार दर पर अधिग्रहीत कर ली जाती है तो स्कीम वायबुल (Viable) न होगी या नहीं पर निश्चित आख्या दी जाय।

21- ग्रीन बर्ज में कितने प्रतिशत भूमि पर निर्णय हेतु अनुमति दी जा सकती है के बारे में बनायी गयी गाइड-लाइन्स के संदर्भ में मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक की संस्तुति शीघ्र प्राप्त की जाय और परिषद की बजट बैठक के बाद होने वाली अगली बैठक में रखी जाय।

22- दोहरीघाट रोह भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना, आजमगढ़ में निर्माण कार्य प्रारम्भ करने के सम्बन्ध में जिलाधिकारी से संपर्क कर कार्य प्रारम्भ करने हेतु शीघ्र कोई तिथि निश्चित करायी जाय और उनका सहयोग प्राप्त कर कार्य चालू कराया जाय।

23- उ0प्र0आवास एवं विकास परिषद सहायक अभियन्ता सेवा विनियमावली-1973 को सहायक अभियन्ता (विद्युत/यान्त्रिक) के लिये लिये लागू करने हेतु विनियमावली का आलेख्य अविलम्ब तैयार कराया जाय और परिषद के विचारार्थ बजट बैठक के बाद रखा जाय।

24- हापुड़-गाज़ियाबाद मार्ग पर आवास योजना सं0-1 पिलखुआ के सम्बन्ध में परिषद को जानकारी करायी गयी कि अधीक्षण अभियन्ता जल निगम, मेरठ ने पत्राचार कर बताया कि पिलखुआ में जल निगम की कोई सीवरेज योजना प्रस्तावित नहीं है। उक्त स्थिति में परिषद की आवासीय योजना चालू करने के सम्बन्ध में अग्रेतर कार्यवाही की जाय।

25- परिषद द्वारा तैयार किये गये कारपोरेट प्लान के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में परिषद द्वारा रिवाल्विंग फण्ड बनाने हेतु मुख्य अभियन्ता और ज्येष्ठ लेखा अधिकारी द्वारा

1	2	3	4

प्रस्तुत आख्या पर विचार-विमर्श के पश्चात् निम्नलिखित निर्णय लिये गये:-

1- शासन को वर्णित स्थिति के पूर्ण तथ्यों से अवगत कराते हुये सीड कैपिटल स्वीकृत कराने की माँग की जाय।

2- परिषद की द्वितीय श्रेणी को देखते हुये तथा इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुये कि निकट भविष्य में शासन से पर्याप्त मात्रा में सीड कैपिटल मिलने की संभावना नहीं है परिषद को अपने श्रोतों से ही रिवाल्विंग फण्ड स्थापित कराने की कार्यवाही की जाय।

3- अल्प आय वर्ग के भवनों के संदर्भ में प्रथम किस्त के साथ जो धनराशि देय होती है उनको किस्तों में वसूल कराने की सुविधा तत्काल समाप्त कर दी जाय।

4- दुर्बल आय वर्ग के भवनों के सम्बन्ध में प्रथम किस्त के समय देय धनराशि को किस्तों में वसूल कराने की सुविधा दी जाय किन्तु यह धनराशि अधिकतम एक वर्ष में ही वसूल की जाय।

5- एक मुश्त धनराशि पर सम्पत्तियों के निस्तारण के संदर्भ में परिषद के अब तक के निर्णयों को निरस्त कर दिये जायें और भविष्य में मध्यम आय वर्ग तथा उच्च आय वर्ग के निर्मित भवनों के 40% भवन एक मुश्त देय धनराशि के आधार पर आवंटित किये जायें। यदि आवश्यक समझा जाय तो विनियमों में तदनुसार संशोधन कर लिया जाये।

6- मध्यम आय वर्ग और उच्च आय वर्ग के जो भवन किस्तों पर दिये जायें उनकी प्रथम किस्त उतनी धनराशि के बराबर अवश्य हो जितनी धनराशि भूमि के अधिग्रहण कार्य और भवनों के निर्माण में परिषद के कोष से व्यय की गयी हो। परिषद कोष से किये गये ऐसे सारे व्यय का कम से कम 50% प्रथम किस्त के साथ वसूल हो और शेष धनराशि एक वर्ष की किस्तों में समेकित कर वसूल की जाय।

26- दुर्बल आय वर्ग हेतु जो भवन बनाये जा रहे हैं उनके भूमि के मूल्य में वित्तीय अनुदान देने के लिये एक विस्तृत टिप्पणी परिषद की बैठक में रखी जाय। इस सम्बन्ध में कानपुर विकास प्राधिकरण द्वारा की गयी व्यवस्था का भी अध्ययन कर लिया जाय।

27- किस्त क्रय पद्धति पर आवंटित भवनों के किस्तों की वसूली की स्थिति अलग से परिषद की प्रत्येक बैठक में रखी जाय।

28- वाह्य विद्युतीकरण हेतु उ0प्र0राज्य विद्युत परिषद के पास काफी दिनों से लम्बित धनराशि के बारे में यह निर्णय लिया गया कि अध्यक्ष, आवास एवं विकास परिषद के स्तर पर एक बैठक शीघ्र करायी जाय जिसमें उ0प्र0राज्य विद्युत परिषद के सदस्य (वाणिज्य) को आमन्त्रित किया जाय और इस समस्या का उपयुक्त निराकरण कराया जाय।

1	2	3	4
			29- परिषद व्दारा निर्मित सम्पत्तियों तथा मूल्यांकन हेतु प्रस्तुत सम्पत्तियों के बीच जो अन्तराल है उसे कम कराने के लिये प्रभावी कार्यवाही की जाय और जो सम्पत्तियां पूर्ण दर्शायी गयी हैं उनका मूल्यांकन अभिलेख मूल्यांकन अधिकारी के पास मूल्यांकन करने हेतु अविलम्ब भेजवा दिया जाय ताकि सभी निर्मित सम्पत्तियों का शीघ्र आवंटन हो सके।
			30- मूलधन एवं व्याज की गणना अलग अलग करके उनकी प्रविष्टियां सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालयों में करने हेतु दिये गये परिषद निर्देशों के कार्यान्वयन का अनुश्रवण ज्येष्ठ लेखाधिकारी शीघ्र ही करके परिषद की अगली बैठक जो बजट बैठक के बाद होगी में प्रस्तुत करें।
			31- परिषद के अशासकीय सदस्य श्री राम पाल सिंह व्दारा प्रस्तुत इस आशय के प्रस्ताव कि 2% भवन का आवंटन परिषद के अध्यक्ष के विवेक पर रखा जाय का विस्तृत परीक्षण शीघ्र किया जाय और इस संदर्भ में दिल्ली विकास प्राधिकरण तथा पश्चिमी बंगाल हाउसिंग बोर्ड व्दारा किये गये प्राविधानों का अध्ययन कर लिया जाय और परिषद की अगली बैठक जो बजट बैठक के बाद होगी में प्रस्ताव रखा जाय।
3- बीस सूत्रीय कार्यक्रम की प्रगति तथा परिषद के अन्य महत्वपूर्ण कार्य कलापों के सम्बन्ध में प्रस्तुत अनुश्रवण समिति की आख्या पर विचार।	द्वितीय/(3)/83		बीस सूत्रीय कार्यक्रम की प्रगति तथा परिषद के अन्य महत्वपूर्ण कार्यकलापों के सम्बन्ध में प्रस्तुत अनुश्रवण समिति की आख्या पर विचार-विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से निम्नलिखित निर्णय लिये गये 1- विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी, लखनऊ के बैठने की व्यवस्था परिषद मुख्यालय पर की जाय। 2- सभी विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारियों को परिषद की ओर से नि:शुल्क आवासीय मकान देने की व्यवस्था की जाय और उन्हें वाहन की भी सुविधा उपलब्ध करायी जाय ताकि सुयोग्य अधिकारी इन पदों पर आने के लिये आकृष्ट हों। 3- विभिन्न विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारियों के पास परिषद व्दारा प्रदत्त जो धनराशि अवितरित पड़ी है उसका वितरण शीघ्र कराया जाय और उसका लेखा-जोखा अध्यावधि कराया जाय। 4- वर्तमान वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक अधिकाधिक भूमि का कब्जा प्राप्त करने का प्रयास किया जाय। 5- 740·47 एकड़ भूमि जिस का विकास कार्य प्रगति पर बताया गया है से सम्बन्धित संपूर्ण कार्य जून-1983 तक अवश्य पूरा कर लिया जाय। 6- विकास कार्य करते समय बरसाती पानी का निकास समतलीकरण तथा सड़क निर्माण कार्य को प्राथमिकता दी जाय और भविष्य में विकास कार्य के सम्बन्ध में जो विवरण प्रस्तुत किया जाय उसमें यह इंगित किया जाय कि विभिन्न कार्य किस स्तर पर है।

1	2	3	4
			7- भवन निर्माण कार्य की समीक्षा के बाद यह निर्णय लिया गया कि निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार भवन निर्माण कार्य पूरा कराने का गंभीरतम प्रयास किया जाय। यदि किन्हीं अपरिहार्य परिस्थितियों में कुछ भवन 31 मार्च तक न बन पायें तो उन्हें विलम्बतम जून-1983 तक पूरा कर लिया जाय।
			8- भविष्य में अधिक से अधिक संख्या में भूखण्डों का प्राविधान ले-आउट प्लान में रखा जाय ताकि भूखण्डों की भारी शेष मांग को पूर्ति की जा सके।
			9- फिलहाल वित्तीय वर्ष-1983-84 तक दोहरी लेखा प्रणाली केवल मुख्यालय स्तर पर ही बनाई रखी जाय। तदपरान्त इस प्रणाली का पूर्ण अध्ययन एवं मूल्यांकन करने के पश्चात् इसे क्षेत्रीय कार्यालयों में लागू किया जाय।
			10- लेखा मैनुअल तैयार कराने के सम्बन्ध में कृत कार्यवाही की जानकारी परिषद को करायी गयी। यह निर्णय लिया गया कि मार्च-1983 के अन्त तक यह निश्चित कर लिया जाय कि लेखा-मैनुअल का कार्य किस विशिष्ट एजेन्सी द्वारा कराया जाना है। तदपरान्त इस कार्य को शीघ्रता से सम्पन्न कराया जाय।
			11- परिषद की वित्तीय स्थिति के पूर्ण अध्ययन के सम्बन्ध में हडको से कन्सल्टेंसी सर्विसेज की सेवायें प्राप्त की जायें जिसके लिये Terms of Reference बनाये जायें और यदि इसके उपरान्त आवश्यक हो तो कारपोरेट प्लान को पुनरीक्षित कराने हेतु ऐसे प्रस्ताव परिषद के सम्मुख रखा जाय।
			12- शासन स्तर से सीड कैपिटल की पर्याप्त धनराशि प्राप्त कराने के प्रयास किये जायें तथा यदि संभव हो तो सीड कैपिटल के रूप में नजूल भूमि भी परिषद को हस्तान्तरित कराने के लिये समुचित कार्यवाही की जाय।
4- विभागीय निर्माण इकाई/खण्ड गोदामों में भूतपूर्व सैनिकों को रु0 550/- संग्रहीत वेतन पर चौकीदार नियुक्त करने के संबंध में।	द्वितीय/(4)/83		परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि इस प्रस्ताव का पुनः परीक्षण किया जाय। परीक्षण करते समय यह देखा जाय कि अन्य बड़े अभियन्त्रण विभागों में गोदामों के रखरखाव के लिये क्या व्यवस्था है और इस प्रस्ताव के कार्यान्वयन से कितना वित्तीय भार पड़ेगा। विस्तृत परीक्षण के उपरान्त निश्चित प्रस्ताव परिषद के समक्ष रखा जाय।
5- श्री गुलाब सेहरा को विदेशी मुद्रा में आवंटित खण्ड सं0-169 का भुगतान देशी मुद्रा तथा किस्तों में किया जाना।	द्वितीय/(5)/83		बजट बैठक के बाद होने वाली बैठक में विचारार्थ करने हेतु स्थगित।
6- इन्दिरा नगर योजना, लखनऊ के सेक्टर-5 में शापिंग-कम-आफिस काम्पलेक्स के चारों ओर सीमेन्ट कान्क्रीट पेवमेंट का निर्माण।	द्वितीय/(6)/83		परिषद द्वारा विचार-विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।

1	2	3	4
7-	इन्दिरा नगर योजना, लखनऊ के सेक्टर-6 में परिषद कर्मचारियों के लिये दुर्बल आय वर्ग के 15/40 प्रकार के 18 भवनों का निर्माण।	व्दितीय/(7)/83-	परिषद ने विचार-विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की।
8-	इन्दिरा नगर विस्तार योजना, लखनऊ में कम कीमत आवास प्रतियोगितात्मक परियोजना-1982 के अन्तर्गत कम्युनिटी सेन्टर एवं खुले स्टेज का निर्माण।कार्य।	व्दितीय/(8)/83	परिषद व्दारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।
9-	हल्दवानी भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना सं0-2 हल्दवानी (क्षेत्रफल 8.23 एकड़ अनुमानित लागत रु0 13.835)	व्दितीय/(9)/83	परिषद ने विचार विमर्श के उपरान्त इस प्रस्ताव पर सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की।
10-	सिकन्दरा योजना आगरा के सेक्टर-1 में 2/30 प्रकार के 1215 साइट एवं सर्विसिज़ का निर्माण।	व्दितीय/(10)/83	परिषद ने विचार विमर्श के उपरान्त इस प्रस्ताव पर सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की।
11-	चन्द्र शेखर आज़ाद नगर, उन्नाव में परिषद परियोजना के अन्तर्गत 7 अल्प आय वर्ग (एल0-2/79/1 प्रकार) तथा 19 दुर्बल आय वर्ग (डब्लू0-3/79/1 प्रकार) के भवनों का निर्माण।	व्दितीय/(11)/83	परिषद व्दारा विचार विमर्श के उपरान्त इस प्रस्ताव पर सर्वसम्मति से स्वीकृति दी गयी।
12-	लखनऊ रायबरेली रोड पर तेलीबाग भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना सं0-1 का धारा-28 हेतु प्रस्ताव एवं प्राक्कलन।	व्दितीय/(12)/83	परिषद ने विचार विमर्श के उपरान्त इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से स्वीकार किया।
13-	लखनऊ रायबरेली रोड पर तेलीबाग भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना सं0-2 का धारा-28 हेतु प्रस्ताव एवं प्राक्कलन।	व्दितीय/(13)/83	परिषद व्दारा विचार-विमर्श के उपरान्त इस प्रस्ताव पर सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की।
14-	इन्दिरा नगर योजना, लखनऊ के सेक्टर-4 में प्रस्तावित व्यवसायिक केन्द्र का निर्माण।	व्दितीय/(14)/83	परिषद ने विचार-विमर्श के उपरान्त इस प्रस्ताव पर सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की।
15-	इज्जतनगर भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना सं0-2 बरेली में साइट एवं सर्विसिज़ (2/30 प्रकार के) की 204 इकाईयों का निर्माण।	व्दितीय/(15)/83	परिषद ने विचार विमर्श के उपरान्त इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से स्वीकार किया।
16-	लाजपत राय रोड भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना, लखनऊ।	व्दितीय/(16)/83	परिषद व्दारा विचार विमर्श के उपरान्त इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से स्वीकार किया।
17-	परिषद की ट्रान्स यमुना-योजना आगरा में श्रीमती प्रेम देवी को प्रदिष्ट भूखण्ड-सं0-बी0-107 का भुगतान किस्तों में करने के संबंध में।	व्दितीय/(17)/83	परिषद ने विचार विमर्श के उपरान्त इस प्रस्ताव पर सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की।

1	2	3	4
18- शाहाबाद भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना शाहाबाद में समाविष्ट भूमि में से तहसील शाहाबाद के निर्माण हेतु भूमि छोड़े जाने के सम्बन्ध में।	विंतीय/(18)/83	परिषद व्दारा विचार-विमर्श के उपरान्त इस प्रस्ताव पर सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की।
19- इन्दिरा नगर विस्तार योजना लखनऊ में स्थित श्रीमती कृष्णा माथुर के दो ट्यूबवेल्स को कब्जा आपसी बातचीत से लेने तथा उसका प्रतिकर भुगतान करने के सम्बन्ध में।	विंतीय/(19)/83	परिषद ने विचार विमर्श के उपरान्त इस प्रस्ताव पर सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की।
20- श्री करन सिंह को लखनऊ तथा श्री लालता प्रसाद अग्रवाल को बरेली आवास योजना के अन्तर्गत मध्यम आय वर्ग का भवन प्रदिष्ट किया जाना।	विंतीय/(20)/83	परिषद व्दारा विचार विमर्श के उपरान्त निर्णय लिया गया कि ऐसे और कितने मामले हैं इसकी संहत सूची परिषद की अगली बैठक जो बजट बैठक के बाद होगी में रखी जाय।
21- राज्य सरकार, केन्द्र सरकार एवं अन्य विभागों की सम्पत्ति का दिया जाना।	विंतीय/(21)/83	परिषद व्दारा विचार विमर्श के उपरान्त इस प्रस्ताव पर सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।
22- भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना देवपुरपारा एप्रोच रोड, लखनऊ की धारा-28 हेतु प्रस्ताव एवं प्राक्कलन।	विंतीय/(22)/83	परिषद ने विचार विमर्श के उपरान्त इस प्रस्ताव पर सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की।
23- हडको व्दारा वित्त पोषित एम0आई0जी0तथा एच0 आई0जी0हाउसिंग स्कीम कुर्सी रोड सेक्टर-I तथा III, लखनऊ(स्कीम नं0-2389)	विंतीय/(23)/83	परिषद व्दारा विचार विमर्श के उपरान्त इस प्रस्ताव पर सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की।
24- कटरा भूमि विकास योजना बस्ती में विंतीय हडको कम्पो0 परियोजना के अन्तर्गत प्रस्तावित दु0आ0वर्ग0के 15/40 प्रकार के 233, अत्य आय वर्ग के 18/56 प्रकार के 90 एवं म0आ0व0के 43/120 प्रकार के 28 भवनों का निर्माण।	विंतीय/(24)/83	परिषद ने विचार विमर्श के उपरान्त इस प्रस्ताव पर सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की।
25- कुर्सी रोड योजना, लखनऊ के सैक्टर-I तथा 6 के अन्तर्गत हडको वित्त पोषित तृतीय हडको कम्पोज़िट हाउसिंग परियोजना(स्कीम नं0-2391)	विंतीय/(25)/83	परिषद व्दारा विचार विमर्श के उपरान्त इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से स्वीकार किया।
26- हडको व्दारा वित्त पोषित कम्पो0 हाउसिंग प्रोजेक्ट पाण्डेपुर, वाराणसी(स्कीम-नं0-2388)	विंतीय/(26)/83	परिषद ने विचार विमर्श के उपरान्त इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की।

1	2	3	4
27-	बांदा भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना सं0-1, बांदा के खसरा भूखण्ड सं0-972 जो नजूल सम्पत्ति है, के सम्बन्ध में।	द्वितीय/(27)/83	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त इस प्रस्ताव पर सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि द्वितीय विकल्प के अनुसार अग्रेतर कार्यवाही की जाय।
28-	श्री बी0एस0शर्मा, सहायक अभियन्ता की अपील दिनांक 8-2-82 के सम्बन्ध में।	द्वितीय/(28)/83	इस संदर्भ में परिषद द्वारा सदस्यों की गठित समिति की आख्या पर विचार-विमर्श के पश्चात् सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि समिति की संस्तुति के अनुसार अग्रेतर कार्यवाही की जाय।
29-	सार्वजनिक उपक्रमों के सम्बन्ध में गठित वेतन आयोग की संस्तुतियों को 1-7-79 से लागू करने के सम्बन्ध में।	द्वितीय/(29)/83	परिषद द्वारा विचार-विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि सार्वजनिक उपक्रम के सम्बन्ध में गठित वेतन आयोग की संस्तुतियों के आधार पर दिनांक 1-7-79 अथवा अग्रिम वेतन वृद्धि की तिथि जिस तिथि से कर्मचारी अपना विकल्प दें, नया वेतनमान दे दिया जाय। वेतन के अतिरिक्त अन्य संस्तुतियों के बारे में जो भी शासन के आदेश हों तदनुसार कार्यवाही की जाय और यदि शासन ने वेतन के अतिरिक्त अन्य संस्तुतियों के कार्यान्वयन पर कोई रोक न लगाई हो तो संस्तुतियों के अनुसार सुविधायें अनुमन्य कर दी जायें। जहाँ तक एरियर्स के भुगतान का प्रश्न है, वेतन आयोग की संस्तुति के संदर्भ में शासन के जो भी निर्देश हों के अनुसार नकद धनराशि का भुगतान किया जाय। जो धनराशि नकद रूप में देय नहीं है वह अधिकारियों/ कर्मचारियों के सी0पी0 एफ0 में जमा करायी जाय, परन्तु शर्त यह रहेगी कि जिन अधिकारियों/ कर्मचारियों को परिषद की कोई सम्पत्ति आवंटित हुई है और उन्होंने किस्तों की अदायगी नहीं की है ऐसे अधिकारियों/ कर्मचारियों द्वारा अर्जित एरियर्स का भुगतान उनके सी0पी0 एफ0 में अथवा नकद न करके उसका समायोजन उनके द्वारा देय धनराशि में कर लिया जाय।
30-	पंजीकरण खुलने के सम्बन्ध में।	द्वितीय/(30)/83	परिषद द्वारा विचार-विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव को स्वीकार किया गया।
31-	अधीक्षण अभियन्ताओं के रिक्त पदों को भरने हेतु गठित चयन समिति की संस्तुति पर विचार।	द्वितीय/(31)/83	परिषद द्वारा विचार-विमर्श के उपरान्त अधीक्षण अभियन्ताओं के रिक्त पदों को भरने हेतु गठित चयन समिति की संस्तुति स्वीकार की तथा चयन समिति द्वारा संस्तुत अधिशासी अभियन्ताओं को पदोन्नति कर रिक्त अधीक्षण अभियन्ताओं के पदों पर नियुक्त करने के लिये सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।
32-	उ0प्र0आवास एवं विकास परिषद के आगामी बैठक की अनुपूरक कार्यसूची (बैठक दिनांक 26-2-83) आपसी वार्ता द्वारा भूमि प्राप्त करने के सम्बन्ध में।	द्वितीय/(32)/83	अगली बैठक में विचारार्थ हेतु स्थगित।
33-	डा0एस0एन0चौबे, सहायक प्रोफेसर लाल	द्वितीय/(33)/83	परिषद ने विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान की।

1	2	3	4
	बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी मंसूरी पंजीकरण सं०-डी०-एन०/एम०-215(10) के पक्ष में विशेष परिस्थितियों में ब्रेहल नगर योजना देहरादून में मध्यम आय वर्ग भवन सं०-सी०-125 आवंटित किये जाने हेतु निर्णयार्थ टिप्पणी।		
34-	आन्तरिक सम्परीक्षक अनुभाग में पुर्नगठन के सम्बन्ध में परिषद के सूचनार्थ टिप्पणी।	द्वितीय/(34)/83	परिषद को आन्तरिक सम्प्रेक्षक अनुभाग के पुर्नगठन की सूचना दी गयी।
35-	माल एवेन्यू योजना, लखनऊ में निर्मित उ०आ० वर्ग भवन के आवंटन की प्रक्रिया।	द्वितीय/(35)/83	अगली बैठक में विचारार्थ हेतु स्थगित।
36-	प्रदिष्ट सम्पत्ति के परिवर्तन के सम्बन्ध में वर्तमान विनियम-35 को समाप्त कर उसके स्थान पर संशोधित विनियम का रखा जाना।	द्वितीय/(36)/83	अगली बैठक में विचारार्थ हेतु स्थगित

अध्यक्ष महोदय ने परिषद की अनुमति से संकल्प रखा कि परिषद में सार्वजनिक निर्माण विभाग से प्रतिनियुक्ति पर आये श्री सलिल कुमार मुखर्जी, मुख्य अभियन्ता जो दिनांक 28-2-1983 को सेवा निवृत्त हो गये की परिषद के सेवा काल के दौरान की गई सेवाओं की सराहना की जाय और परिषद की विभिन्न बैठकों में जो सहयोग तथा योगदान श्री मुखर्जी ने दिया को स्वीकार करते हुये उसकी हार्दिक प्रशंसा की जाय। परिषद ने इस संकल्प को सर्वसम्मति से पारित करते हुये निर्णय लिया की इसकी एक प्रति श्री मुखर्जी को भेज दी जाय।

बैठक अध्यक्ष महोदय को आभार प्रकट करते हुये समाप्त की गयी।

--

पुष्टि की गई

[signature] 24/3/1983

अध्यक्ष